ऑस्टिन का सम्प्रभुता सिद्धान्त

कानून के प्रवीण ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक 'विधिशास्त्र का व्याख्यान' में कानूनी सम्प्रभुता या एकात्मवादी (Monistic Sovereignty) का प्रतिपादन किया था। उनका सिद्धान्त हॉब्स तथा बेन्थम के द्वारा पूर्वप्रतिपादित सिद्धान्तों पर आधारित है, ऐसा कहा जा सकता है, किन्तु ऑस्टिन का सिद्धान्त केवल उनके सिद्धान्तों का विस्तार नहीं है। ऑस्टिन ने सम्प्रभुता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि "आदेश जो उच्चतर द्वारा निम्न को दिया जाता है, वही कानून है।" इसे परिभाषित करते हुए ऑस्टिन ने कहा है: "यदि कोई श्रेष्ठ मानव जो किसी अन्य विशिष्ट मानव के आदेश का पालन करने का आदी न हो, समाज के अधिकांश लोगों से स्वाभाविक रूप से अपनी आज्ञाओं का पालन करा लेता हो, तो वह श्रेष्ठ मानव उस समाज का सम्प्रभु माना जायेगा और वह समाज एक राजनीतिक और स्वाधीन समाज होगा।" ऑस्टिन के इस परिभाषा से सम्प्रभु के निम्न "विशेषताएँ परिलक्षित होती हैं —

- प्रत्येक स्वतन्त्र राजनीतिक समाज में प्रभुसत्ता की शक्ति का इस्तेमाल कुछ व्यक्तियों या व्यक्तियों के समुदाय द्वारा किया जाता है और बिना सम्प्रभु के राज्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती।
- प्रभुसत्ता निश्चित मानव या मानव समूह में होनी चाहिए, जिसकी ओर संकेत किया जा सके। इस प्रकार ऑस्टिन, सामान्य इच्छा, जनता तथा जनमत आदि में प्रभुसत्ता का निवास नहीं मानता।
- निश्चित प्रधान किसी अन्य की शक्ति के आदेश का पालन नहीं करता। यदि निश्चित प्रधान या प्रभुसत्ता सम्पन्न व्यक्ति और कहीं से आदेश प्राप्त करता है, तो वह सम्प्रभु हो ही नहीं सकता।
- जनता के बहुमत द्वारा प्रभुसत्ता की आज्ञा स्वाभाविक रूप से तथा आदतन पालन करना चाहिए। प्रभुसत्ता का आदेशपालन, अनवरत, नियमित तथा अबाधित होना चाहिए। यह आवश्यक है कि समाज का बहुमत यदि उसके आदेशों का पालन करता है, तो वह सम्प्रभु है।
- प्रभुसत्ता की शक्ति अविभाज्य है अर्थात दो या दो से अधिक लोगों में प्रभुसत्ता का विभाजन सम्भव नहीं।
- सम्प्रभु का आदेश ही कानून है। इसका पालन न करने वाला व्यक्ति दण्ड का भागी होता है।

उसकी सम्प्रभुता निश्चयात्मक, स्वेच्छाचारी, असीमित, अविच्छेद्य, सर्वव्यापक तथा स्थायी है। ऑस्टिन सम्प्रभुता की व्याख्या कानूनी ढंग से करता है।

ऑस्टिन के सम्प्रभुता सिद्धान्त की आलोचना भी की गई है —

- कुछ विद्वानों ने ऑस्टिन के इस विचार की आलोचना की है कि सभी कानून प्रभुसत्ताधारी का आदेश है। उनका मानना है कि प्रत्येक समाज में अनेक प्रकार के धार्मिक तथा परम्परागत कानून हैं जिनका प्रचलन प्राचीन काल से है किन्तु उन्हें कानून का रूप नहीं दिया गया। इन प्रचलित परम्पराओं एवं मान्यताओं का उल्लंघन कोई भी सम्प्रभु नहीं कर सकता है।
- ऑस्टिन का सिद्धान्त प्रजातन्त्र के आधुनिक मतों के विपरीत है क्योंकि ऑस्टिन ने पूर्णतया जनता या जनमत की शक्ति की उपेक्षा की है।

[illegible]

इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें उनका अपना ही हित निहित है। लास्की के अनुसार "[illegible] चेतना ही कानून का सच्चा साधन है।"

- ऑस्टिन केवल प्रभुसत्ता के कानूनी पक्ष पर ही ज्यादा जोर देते हैं और इसके दूसरे पक्षों की पूर्णतया उपेक्षा करते हैं। वह भूल जाता है कि कानूनी सम्प्रभुता के पीछे एक और शक्ति होती है जिसके आगे कानूनी सम्प्रभुता को भी झुकना पड़ता है वह है राजनीतिक प्रभुसत्ता। वास्तव में ऑस्टिन कानूनी सम्प्रभुता तथा राजनीतिक सम्प्रभुता में अन्तर नहीं कर पाता है।
- ऑस्टिन के सिद्धान्त को आधुनिक राज्यों पर भी लागू करना अत्यन्त कठिन है। जैसे इंग्लैण्ड में यह तय करना कठिन है कि प्रभुसत्ता कहाँ केन्द्रित है सम्राट में या पार्लियामेन्ट में। कभी वह इसे संसद में तो कभी निर्वाचक मण्डल में केन्द्रित मानते हैं।
- ऑस्टिन का सिद्धान्त इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इसमें निरंकुशता के बढ़ने की सम्भावनाएँ हैं जो मानव हित के विपरीत है।
- ऑस्टिन के असीमित प्रभुसत्ता की भी काफी आलोचना हुई है। क्योंकि प्रभुसत्ता की शक्ति पर आन्तरिक एवं बाह्य दोनों ही शक्तियों की सीमाओं का प्रभाव है। वह आन्तरिक रूप से व्यक्तियों के अधिकारों से परिसीमित है और बाह्य रूप से वह दूसरे राज्यों के सन्धियों समझौते आदि से। लास्की, मैकाइवर आदि सभी विद्वान ऑस्टिन के इस सम्प्रभुता के सिद्धान्त से असहमत हैं।

यद्यपि ऑस्टिन के सिद्धान्त की कड़ी आलोचना हुई है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी कोई वैधता नहीं है क्योंकि जितनी भी सीमाओं की चर्चा हुई है, सम्प्रभुता के सन्दर्भ उनकी कोई कानूनी स्वीकृति नहीं है क्योंकि यदि प्रभुसत्ताधारी चाहे तो उसका उल्लंघन कर सकता है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय बन्धन भी राज्य के द्वारा स्वयं स्वीकार किए गए हैं। और उन्हें राष्ट्रीय हित में नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। वास्तव में ऑस्टिन के सिद्धान्त की आलोचना का आधार मिथ्या तर्क तथा मिथ्या धारणा है। ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता के सम्बन्ध में एक कठोर कानूनी सिद्धान्त रखा था। पर उसका दोष यह था कि उसने सम्प्रभुता के कानूनी पक्ष पर आवश्यकता से अधिक बल दिया। गार्नर के शब्दों में, 'प्रभुसत्ता के कठोर कानूनी रूप की दृष्टि से ऑस्टिन का सिद्धान्त स्पष्ट एवं तर्कसम्मत है।"